Attachment -1.6

FORM -1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttrakhand
Office at the district collector Champawat

No. 2942 ..../ Date : 22-6-18

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted from non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects , it is certified that 0.565 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Lok Nirman Vibhag, Champawat** (name of user agency) for **Construction of Road from Tawa Mod to Kot Amodi** (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of **Kot Amodi villages in Champawat Tehsil.**

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.565 hectares of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee are enclosed as **annexure 23 to annexure 23.2 total 04 pages.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Enclosure :- As above

Signature

जिलाधिकारी
चम्पावत

(Dr. Ahmed Iqbal)
Full name and official seal of the District Collector

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

Attachment -1.6

प्रारूप – 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Champawat (U.K.)

No...2942.../ **Date :** 22-06-18

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule Tribes and other traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) , 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss **Dr. Ahmed Iqbal I.A.S.** deputy Commissioner Champawat on dated 22-6-18 at time 11 A.M. at Champawat in which application claiming rights in forest area measuring 0.565 hectares for the **Construction of Road from Tawa Mod to Kot Amodi in District Champawat.** Forest land under FRA ,2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Champawat sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee .

After scrutiny of the documents and detailed discussions , no objection / claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Champawat

Date :

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

(Dr. Ahmed Iqbal)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Atchement-1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में जिला योजना में स्वीकृत टक्कामोड़ से कोट अमोड़ी तक सड़क निर्माण लम्बाई 1.00 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट अमोड़ी
तहसील चम्पावत जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत टक्कामोड़ से कोट अमोड़ी तक लम्बाई 1.00 KM परियोजना के निर्माण हेतु (——— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.565 हे0, वन पंचायत भूमि 0.000 हे0) अर्थात कुल 0.565 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० —विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी द्वारा दिनांक 20.1.2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट अमोड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	सरस्वती देवी ह0/–
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकार क्षेत्र .... वि०ख०	प्रधान ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी वि०ख० / जनपद चम्पावत

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र—23.1

Attchenent-1.6

दिनांक 20-1-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कोट अमोड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	शिवदत्त S/o हुदयराम	शिवदत्त
	दुर्गा दत्त S/o लीलाधर	दुर्गा दत्त
	खीमानन्द S/o पूर्णानन्द	खीमानन्द
	जीवन चन्द्र S/o हेतराम	जीवनचन्द्र
	धर्मानन्द S/o कुंवर देव	धर्मानन्द
	बचीराम S/o कुतर देव	बचीराम
	पूर्णानन्द S/o जयदत्त	पूर्णानन्द
	नारायणदत्त S/o किशनानन्द	नारायणदत्त
	मोहन चन्द्र S/o जीतराम	मोहनचन्द्र
	चूड़ामणी S/o नित्यानन्द	चूड़ामणी
	उमेशचन्द्र S/o गंगादत्त	उमेशचन्द्र
	रमेशचन्द्र S/o लीलाधर	रमेशचन्द्र
	बलदेव S/o हेतराम	बलदेव
	प्रकाश चन्द्र S/o लीलाधर	प्रकाश
	गिरीश चन्द्र S/o रेवाधर	गिरीश चन्द्र
	हेतराम S/o धर्मानन्द	हेतराम
	जोगादत्त S/o इन्द्र देव	जोगादत्त
	तिलोमणी S/o रेवाधर	तिलोमणी
	ललित मोहन S/o बचीराम	ललित मोहन
	नन्दा बल्लभ S/o इन्द्र देव	नन्दा बल्लभ

लक्ष्मी दत्त S/o किशनानन्द — लक्ष्मीदत्त

प्रपत्र—23.2 Attachment-1.6

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में जिला योजना में स्वीकृत टनकपुर से कोट अमोड़ी तक सड़क निर्माण लम्बाई 1.000 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत टनकपुर से कोट अमोड़ी तक (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.565 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.565 हे0 वन भूमि) का लो०नि०वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्रीमती सीमा विश्वकर्मा उपजिलाधिकारी (सदर) चम्पावत —अध्यक्ष

2— श्री [signature] —उप प्रभागीय वनाधिकारी— चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत सदस्य

3— श्री जितेन्द्र चन्द —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— चम्पावत सदस्य / सचिव

4— श्रीमती ... देवी —बी0डी0सी0 क्षेत्र — कोट अमोड़ी सदस्य

(Stamps: उप प्रभागीय वनाधिकारी ...; क्षेत्र पंचायत कोट अमोड़ी; ... जनपद चम्पावत)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत टनकपुर से कोट अमोड़ी तक मोटर मार्ग ल0 1.000 K.M परियोजना हेतु 0.565 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लो०नि० वि० चम्पावत ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Atthcment-1.6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत रौलामोड़ से कोर्दे अल्मोड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.565 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

उप जिलाधिकारी (सदर)
चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

उप जिलाधिकारी (सदर)
चम्पावत